न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :246 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जबरजंग सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 24.07.2023

उपस्थितः स्वंय वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक : 24.07.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 12/12 की कुल 14.531 हैक्टेयर भूमि में से 0.969 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की भूमि मे से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 13 ता 24 सालम–सालम, किला नम्बर 25 की 0.202 हैक्टेयर भूमि बारानी दर्ज है। जबकि सीसीए रिकॉर्ड में उक्त भूमि नहरी है। उक्त रकबा को पानी लग रहा है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 4 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 13 ता 24 सालम–सालम, किला नम्बर 25 की 0.202 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 15 दिनांक 19.04.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 4 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12 की कुल 14.531 हैक्टेयर भूमि कोर सिंह, गुरजीत कौर, चरणजीत कौर, जबरजंग सिंह, जसविन्द्र सिंह, धर्मपाल सिंह, बेअन्त सिंह, विक्रम सिंह, सतपाल सिंह, के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। अधिशाषी अभियता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार मुरब्बा नम्बर 16 के 20 बीघा मूल रूप से कमाण्ड है एंव 4 बीघा रकबा जल संसाधन वि[illegible] नकल क्रमांक 579/01.12.2022 अनुसार दिनांक 01.04.1981 से स्[illegible] रूप से सीसीए में शामिल है। कुल 24 बीघा रकबा कमाण्ड है एंव चक 4 [illegible] एफ के मुरब्बा नम्बर 16 का समस्त रकबा नहर द्वारा सिंचित है। [illegible] रिकॉर्ड के अनुसार मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.227 हैक्टेयर, [illegible] नम्बर 4 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टेयर, 6 ता 11 कुल 2.656 हैक्टेयर भूमि नहरी व किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 ता 24, किला नम्बर 25 की 0.130 हैक्टेयर कुल 3.418 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:46 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

भूमि बारानी दर्ज है। (गंगनहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एंव विक्रय नियम) 1956 के अनुसार तत्समय प्रचलित भूमि विक्रय मूल्य दर 1225X14=17250 रुपए भूमि विक्रय मूल्य एंव दिनांक 01.04.1981 से 43 वर्षो का ब्याज 17250X12X43=89010 रुपए, कुल 17250+89010 =106260 रुपए अन्तरराशि वसूली योग्य है। भूमि विक्रय मूल्य जीआरएन नम्बर 76550617 दिनांक 02.06.2023 से जमा है। एवं राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(23)उप/2020-1 जयपुर दिनांक 31.03.2023 द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि की आवंटन की 31 दिसम्बर 2023 तक की शेष रही बकाया किश्ते 01 अप्रेल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। जल उपयोक्ता संगम बडोपल की रिपोर्ट के मुताबिक चक 4 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 25 सालम पानी की बारी स्वीकृत है। इस प्रकार चक 4 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 12 ता 25 जो राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है, उसे सीसीए रिकॉर्ड अनुसार जमाबन्दी में नहरी दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 4 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 12/12 की प्रति, सीसीए चक प्लान 4 एफ एफ की छायाप्रति, अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम बडोपल के प्रमाण पत्र की प्रति, पानी की पर्ची की प्रतियां, राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(23)उप/2020-1 जयपुर दिनांक 31.03.2023 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 4 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर किला नम्बर 13 ता 24, किला नम्बर 25 की 0.130 हैक्टेयर भूमि को बारानी से दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 4 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 ता 24, किला नम्बर 25 की 0.130 हैक्टेयर कुल 3.418 हैक्टेयर भूमि बारानी दर्ज है। मौका निरीक्षण करने पर मुरब्बा नम्बर 16 का सम्पूर्ण रकबा सिचिंत है। सीसीए चक प्लान में मुरब्बा नम्बर 16 के 20 बीघा नहरी एंव 4 बीघा बारानी दर्ज है। जल संसाधन विभाग की नकल क्रमांक 579/01.12.2022 अनुसार दिनांक 01.04.1981 से स्थायी रूप से सीसीए में शामिल है। कुल 24 बीघा रकबा कमाण्ड है। जल उपयोक्ता संगम बडोपल की रिपोर्ट के मुताबिक चक 4 [illegible] के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 25 सालम पानी की बारी [illegible]कृत। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, जल संसाधन [illegible] उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर की पंत्राक 579 दिनांक [illegible] की प्रति [illegible] प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, जल उपयोक्ता [illegible] के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

जबरजंग सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए
प्रकरण संख्या 246 / 2023

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ. नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 12 की 0.252 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 ता 24 सालम–सालम, किला नम्बर 25 की 0.130 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested